रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259897
CG-DL-E-03012025-259897

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/ पौष 13, 1946
No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/ PAUSHA 13, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ. 48(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'रबीन्द्र सेतु के आयुक्त, कोलकाता' (पैन AABTT2734P), हावड़ा सेतु (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का पश्चिम बंगाल अधिनियम XII) के अन्तर्गत गठित एक निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) नगर पालिकाओं/नगर निगमों तथा रेलवे के करों से प्राप्त आय,

(ख) विविध आय जैसे किराया तथा रख-रखाव शुल्क, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए आय, मार्ग अनुमति किराया, वसूली योग्य क्षति लागत; तथा

(ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि ''रबीन्द्र सेतु के आयुक्त, कोलकाता':-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों क्रमशः 2018-2019 से 2022-2023 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2019-2020 से 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 4 /2025 फा.सं. 196/1/2023-आईटीए-I]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

S.O. 48(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'The Commissioners for the Rabindra Setu, Kolkata' (PAN AABTT2734P), a body established under the Howrah Bridge (Amendment) Act, 1965 (West Bengal Act XII of 1965), in respect of the following specified income arising to that body, namely:

(a) Proceeds from Taxes of Municipalities / Municipal Corporation and Railways;

(b) Miscellaneous income like Rental and Maintenance charge, income for laying optical fibre cable, way leave rent, Damage cost recoverable; and

(c) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'The Commissioners for the Rabindra Setu, Kolkata':-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020 to 2023-2024 relevant for the financial years 2018-2019 to 2022-2023 respectively.

[Notification No. 4 /2025 F. No. 196/1/2023-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.01.03 22:00:09 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259898
CG-DL-E-03012025-259898

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/ पौष 13, 1946
No. 47] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/ PAUSHA 13, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ.49(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी', (पैन: AAALE0284C) जो कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी है, को उद्‌भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) केन्द्र सरकार एवं कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान,

(ख) कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार की गई बागवानी गतिविधियों से प्राप्त राजस्व जैसा कि कर्नाटक सरकार के दिनांक 14.11.2008 के आदेश संख्याः एएचडी 88 एचपीपी 2008 द्वारा जारी इसके संगम ज्ञापन में उल्लिखित है; तथा

(ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों क्रमशः 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 5 /2025 फा.सं. 300196/37/2019-आईटीए-I]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

S.O. 49(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Karnataka State Horticulture Development Agency' (PAN: AAALE0284C), a Society constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

(a) Grants-in-aid received from Central Government and State Government of Karnataka;

(b) Revenue from horticulture activities undertaken as per the aims and objectives of Karnataka State Horticulture Development Agency as mentioned in its Memorandum of Association issued vide Karnataka Government Order No: AHD 88 HPP 2008, dated 14.11.2008; and

(c) Interest on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Karnataka State Horticulture Development Agency' -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 relevant for the financial years 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024.

[Notification No. 5 /2025 F. No. 300196/37/2019-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.01.03 21:55:41 +05'30'